कार्यालय सहायक आयुक्त(प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

क्रमांकः– एफ.1(35)लेखा/निविदा/धर्मशाला लीज/2022/A-679 दिनांकः– 31/01/2023

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के नियंत्रणाधीन राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर श्री बलदेव परशुरामद्वारा आमेर रोड़ जयपुर में विद्यमान धर्मशाला को 15 वर्ष के लिए संचालन एवं संधारण प्रक्रिया स्वरूप लीज/ठेका पर देने हेतु क्रमांक A–481 दिनांक 22.11.2022 से ऑनलाईन बोलियां आमंत्रित की गई थी जिसमें क्रमांक A–593 दिनांक 22.12.2022 से Corrigendum जारी करते हुए बोली दस्तावेज भरने (अपलोड़) की अंतिम तिथि 16.01.2023 निर्धारित थी। तथा इसकी तकनीकी बोली खोलने की दिनांक 17.01.2023 निर्धारित थी। निर्धारित तिथि को तकनीकी बोली खोली गई जिसमें 16 बोलिया प्राप्त हुई है। इस नीलामी प्रक्रिया के दौरान आयुक्त महोदय देवस्थान विभाग राजस्थान उदयपुर के पत्र क्रमांक एफ.1(1)सम्पदा/देव/2022/2915 दिनांक 25.01.2023 के द्वारा निर्देश प्राप्त हुए है कि श्री बलदेव परशुरामद्वारा मंदिर परिसर के विभागीय उपयोग सम्बन्धी प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है जिस पर अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया की अध्यक्षता में सहायक आयुक्तों की समीक्षा बैठक दिनांक 12.01.2023 में भी विस्तृत चर्चा पश्चात् उक्त परिसर को विभागीय उपयोगार्थ उपयुक्त माना गया था। अतः शासन के निर्णय प्राप्त होने तक उक्त निविदा प्रक्रिया को स्थगित रखा जावें। आयुक्त देवस्थान विभाग राजस्थान के उक्त पत्र में निर्देशानुसार नीलामी समिति द्वारा अभी धर्मशाला की उक्त नीलामी प्रक्रिया को स्थगित रखा जाने का निर्णय लिया गया तथा वित्तीय बोली को अभी नहीं खोलने का निर्णय लिया गया। अतः धर्मशाला को लीज पर देने हेतु की जा रही नीलामी प्रक्रिया को आगमी आदेशों तक स्थगित रखा जाता है। सभी बोलीदाता सूचित रहे।

(रतन लाल योगी)
सहायक आयुक्त(प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर

क्रमांकः– एफ.1(35)लेखा/निविदा/धर्मशाला लीज/2022/A-680-697 दिनांकः– 31/01/2023
प्रतिलिपि

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदया, देवस्थान विभाग, राजस्थान–सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदया, देवस्थान विभाग, राजस्थान–सरकार जयपुर।
3. संभागीय आयुक्त महोदय, संभाग जयपुर।
4. जिला कलक्टर महोदय, जिला– जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव महोदय, देवस्थान विभाग, राजस्थान–सरकार जयपुर।
6. आयुक्त महोदया, देवस्थान विभाग राजस्थान उदयपुर को सूचनार्थ व आश्वयक कार्यवाही हेतु।
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी, कलक्ट्रेट जयपुर।
8. समस्त सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग राजस्थान को सूचना पट्ट पर चस्पानगी हेतु।
9. प्रबन्धक मंदिर श्री बलदेव परशुरामद्वारा आमेर रोड़ जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त कार्यालय आदेश की प्रति धर्मशाला के सूचना पट्ट पर चस्पा करे।
10. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(रतन लाल योगी)
सहायक आयुक्त(प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर

E/Letter

Scanned with CamScanner